

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 19, शुक्रवार, शके 1947- जनवरी 09, 2026 Pausa 19, Friday, Saka 1947- January 09, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग(पथ) राजस्थान,जयपुर

(जिला-कोटा)

अधिसूचना

कोटा, दिसम्बर 12, 2025

(अन्तर्गतभूमि अर्जन ए पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार)

अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

राजकाज 19036071 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार कोटा जिले में लाडपुरा तहसील में कोटा-रूठयाई सेक्शन रेल्वे लाईन पर “रोटेदा से सोगरिया रोड पर रेल्वे फाटक पर **ROB का निर्माण**” कार्य किया जाना है, जिसकी स्वीकृति बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत घोषणा संख्या 243 के अन्तर्गत श्रीमान् संयुक्त सचिव (पथ) सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर के पत्रांक F.7(323)/A&F/Sec.-II/2024-25/D-903 दिनांक 04.10.2024 द्वारा सोगरिया से चन्द्रेसल लाइन पर LC-03 द्वारा राशि रुपये 55.00 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें लाडपुरा कोटा में आरओबी के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की जानी है। जिनका का विवरण निम्नानुसार है।

क.सं.	राज्य	जिला	तहसील	गाँव
1	राजस्थान	कोटा	लाडपुरा	सोगरिया
2	राजस्थान	कोटा	लाडपुरा	रोटेदा

परियोजना हेतु नियमनुसार सामाजिक समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोटा जिले में आरओबी के लिये भूमि अवाप्ति तहसील लाडपुरा के ग्राम रोटेदा, सोगरिया का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और निम्नानुसार होगी।

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित गाँवों भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित सभा तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में प्रर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधान प्रबन्ध योजना तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगर निगम, के परामर्श में की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

अशोक कुमार महावर

कार्यालय अधिग्राही अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड कोटा

स्ट्रेन्थ इन्जीनियरिंग सर्विस प्रा. लिमिटेड, जयपुर

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

.....
सामाजिक विपैषज्ञ

सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी

उपखण्ड-लाडपुरा, कोटा

आर.के. लूथरा,

संयुक्त सचिव (पथ),

सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।